न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/10/2018

अपीलार्थीः—
श्री बृजेश शर्मा पुत्र स्व0 भगवती प्रसाद मु0पो0 मॉढण तहसील बहरोड जिला अलवर।

प्रत्यर्थीः—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—–:: निर्णय ::—–

दिनांकः— 12—02—2018

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0 जयपुर को प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 16.11.2017 जो शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय राज0 सरकार एवं लोक सूचना अधिकारी जन अभियोग निराकरण विभाग राज0 सरकार जयपुर से अन्तरित होकर लोक सूचना अधिकारी अलवर को दिनांक 13.12.2017 को प्राप्त हुआ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2017 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.01.18 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 118 दिनांक 16.01.18 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 16.11.17 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को पत्रांक 599 दिनांक 15.12.17 व यू.ओ. नोट संख्या 223 दिनांक 15.12.17 के माध्यम सें संबंधी बिन्दूवार सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी ने जबाव के माध्यम से अवगत कराया कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 16.11.2017 के संबंध में प्रार्थी को पत्रांक 86 दिनांक 09.01.2018 से चाही गई सूचना के संबंध में आपकी शिकायत ऑनलाईन तहसीलदार नीमराना को अग्रेषित की गई है, इसके संबंध में तहसीलदार नीमराना से रिपोर्ट अप्राप्त है तथापि आप राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आपकी शिकायत के संबंध में वेबसाईट पर जाकर स्वयं जानकारी/सूचना प्राप्त कर सकतें है अथवा तहसीलदार नीमराना से सर्म्पक स्थापित कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का जवाब से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध नही करवाई गई है। साथ प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पस्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/02/18

(राजन विशाल)
जिला कलेक्टर,अलवर